न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना (आर. ए. एस) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास जिला कोटा (राज0)

राजस्व लोक अदालत शिविर झालरी

मिसल नंबर 205 / 14 दायरा दिंनाक 07.08.2014

उनवान :–

1. उच्छव पुत्र उदा जाति चोबदार निवासी ग्राम झालरी तहसील कनवास।
2. केसरबाई पुत्रि उदा जाति चोबदार निवसी ग्राम झालरी तहसील कनवास जिला कोटा।

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र उदा जाति चोबदार निवसी ग्राम झालरी तहसील कनवास।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

वाद इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा 88, 89 आर टी एक्ट

निर्णय दिंनाक 09/06/15

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट रेवतीरमन नागर वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 1 के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी माल ग्राम झालरी पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास में खता नंबर 5 नई की खसरा नंबर 160 की 1.66 हैक्टर खसरा नंबर 269 की 0.46 हैक्टर खसरा नंबर 303 की रकबा 0.21 हैक्टर की कुल किता 3 की 2.33 हैक्टर आराजी भूमि स्थित है। जिसमें 1/2 में एक खातेदार पत्नि कालूलाल बैरवा निवास झालरी भी है, जिससे वाद में कोई वाद कारिता नंही है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी एक के सयुक्त खातेदारी की उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीगण व प्रतिवादी एक उदाजी के उत्तराधिकारी है, जिनमें उच्छव व बृजमोहन पुत्र व केसरबाई पुत्रि है, किन्तु राजस्व कर्मचारीयों द्वारा जमाबंदी बनाते समय पुत्रि केसरबाई को भी पुत्र केसराबाई दर्ज कर दिया है, जबकि मृतक उदाजी के दो पुज व एक पुत्रि ही है, इनके अलावा कोई संतान नंही है, तथा वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 1 की जाति भी चौबदार की जगह चमार दर्ज की हुई है जो कि गलत हे।

यह कि उक्त त्रृटियों के सुधार के लिए वादीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से भी सम्पर्क किया किन्तु काफी घुम फिरने के बाद भी कोई हल नही निकला इस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया।

यह कि अंतिम बार वादीगण वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड लीगल नोटिस के माध्यम से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करने पर भी प्रार्थी की समस्या का कोई हल नही निकलने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज0)

वादी द्वारा वाद पेश कर निवेदन किया है कि माल ग्राम झालरी पटवार हल्का झालरा तहसील कनवास की खाता नंबर 5 नई की खसरा नंबर 160 की 1.66 हैक्टर खसरा नंबर 269 की 0.46 हैक्टर खसरा नंबर 303 की रकबा 0.21 हैक्टर की कुल किता 3 की 2.33 हैक्टर आराजी भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी में इन्द्राज दुरूस्ती की डीक्री पारित करके वादीनी नंबर 2 को केसरा पुत्र के स्थान पर केसरबाई पुत्रि उदा तथा जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज करनें की डीकी सादिर पारित की जाने की कृपा करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। वादी के निवेदन करने पर वादी का वाद सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत शिविर झालरी में रखा गया। पत्रावली में पेरोकार सरकार की ओर से नायब तहसीलदार कनवास का जवाब लिया गया जिसमें उन्होने लिखित में जवाब देकर वादी का वाद स्वीकार करते हुये वादनी नंबर 2 केसरा पुत्र के स्थान पर केसरबाई पुत्रि उदा तथा जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज करने की अनुशंषा की गई।

वाद पत्र में उपलब्ध रेकार्ड व जवाब सरकार का हमारे द्वारा गहनता पूर्वक अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि माल ग्राम झालरी पटवार हल्का झालरा तहसील कनवास की खाता नंबर 5 नई की खसरा नंबर 160 की 1.66 हैक्टर खसरा नंबर 269 की 0.46 हैक्टर खसरा नंबर 303 की रकबा 0.21 हैक्टर की कुल किता 3 की 2.33 हैक्टर आराजी भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी में इन्द्राज दुरूस्ती की डीक्री पारित करके वादीनी नंबर 2 को केसरा पुत्र के स्थान पर केसरबाई पुत्रि उदा तथा जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवाना उचित समझते हैं।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झालरी पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास की खाता नंबर 5 नई की खसरा नंबर 160 की 1.66 हैक्टर खसरा नंबर 269 की 0.46 हैक्टर खसरा नंबर 303 की रकबा 0.21 हैक्टर की कुल किता 3 की 2.33 हैक्टर आराजी भूमि पर वादीनी नंबर 2 को केसरा पुत्र उदा के स्थान पर केसरबाई पुत्रि उदा तथा जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे। तदानुसार अंतिम डिकी जारी की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 09.06.2015 को मजमेआम में सुनाया गया।

श्री अम्बालाल मीना
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

ब इजलास **न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.) राजस्व लोक अदालत केम्प मामोर**

1. उच्छव पुत्र उदा जाति चोबदार निवासी ग्राम झालरी तहसील कनवास।
2. केसरबाई पुत्रि उदा जाति चोबदार निवसी ग्राम झालरी तहसील कनवास जिला कोटा।

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र उदा जाति चोबदार निवसी ग्राम झालरी तहसील कनवास।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

वाद वास्ते खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं 444/14 सन **2014** तारीख फैसला **09.06.2015 न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** ब हाजरी **वादी नंम्बर 1 लगायत 2 स्वंय** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जारी है कि **वादी का वाद स्वीकार करते हुए ग्राम झालरी पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास की खाता नंबर 5 नई की खसरा नंबर 160 की 1.66 हैक्टर खसरा नंबर 269 की 0.46 हैक्टर खसरा नंबर 303 की रकबा 0.21 हैक्टर की कुल किता 3 की 2.33 हैक्टर आराजी भूमि पर वादीनी नंबर 2 को केसरा पुत्र उदा के स्थान पर केसरबाई पुत्रि उदा तथा जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X .. खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **09.06.2015** माह **जून 2015** को जारी की गई।

मोहर ....

श्री अम्बालाल मीना
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया
स्टाम्प अर्जीदावा	....	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा	....	------NIL------
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....	
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....	
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....	
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....	
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....	
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....	
मुतफर्रिक	....					
मीजान	....			मीजान	....	

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का ...